प्रेषक

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ / मेरठ / मऊ / अलीगढ़ / जौनपुर / आजमगढ़ /
बिजनौर / वाराणसी / फतेहपुर / इटावा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 13 जून, 2018**

विषय- विधान परिषद के 13 नव-निर्वाचित मा0 सदस्यों को विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सं0-15 / 2018 / 260 / अड़तीस-9-18-08(बजट) / 2017 दिनांक-04.05.2018 द्वारा उ0प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों द्वारा चयनित 13 मा0 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल दिनांक-05.05.2018 को समाप्त होने के दृष्टिगत उक्त 13 मा0 विधान परिषद सदस्यों को छोड़ते हुए विधान मण्डल के कुल 489 मा0 सदस्यों को रू0 75.00 लाख प्रति सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 36675.00 लाख (रू0 तीन अरब छाछठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- सूच्य है कि उ0प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों द्वारा विधान परिषद के 13 मा0 सदस्यों को निर्वाचित किये जाने के दृष्टिगत संलग्न सूची में अंकित विधान परिषद के नव-निर्वाचित 13 मा0 सदस्यों को विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त के रूप में रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) प्रति सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 975.00 लाख (रूपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

-2 /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधान परिषद के नव-निर्वाचित 13 मा0 सदस्यों को विकास कार्यों हेतु रू0 975.00 लाख (रूपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- यदि किसी विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल दी जायेगी।

(4)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

टी0के0 शिबु

विशेष सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 19/2018/321(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- सम्बन्धित मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।

5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

8- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।

9- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

12- जिलाधिकारी, लखनऊ/मेरठ/मऊ/अलीगढ़/जौनपुर/आजमगढ़/बिजनौर/वाराणसी/फतेहपुर/इटावा।

13- कोषाधिकारी, लखनऊ/मेरठ/मऊ/अलीगढ़/जौनपुर/आजमगढ़/बिजनौर/वाराणसी/फतेहपुर/इटावा।

14- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा

उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 19/2018/321/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017, दिनांक- 13 जून, 2018 का संलग्नक विधान परिषद के नव-निर्वाचित 13 मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची।

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1.	डा0 महेन्द्र कुमार सिंह	उ0प्र0 विधान सभा	लखनऊ	75.00
2.	श्री मोहसिन रजा	तदैव	लखनऊ	75.00
3.	डा0 सरोजिनी अग्रवाल	तदैव	मेरठ	75.00
4.	श्री बुक्कल नवाब	तदैव	लखनऊ	75.00
5.	श्री यशवन्त	तदैव	मऊ	75.00
6.	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	तदैव	अलीगढ़	75.00
7.	श्री विद्या सागर सोनकर	तदैव	जौनपुर	75.00
8.	श्री विजय बहादुर	तदैव	आजमगढ़	75.00
9.	श्री अशोक कटारिया	तदैव	बिजनौर	75.00
10.	श्री अशोक धवन	तदैव	वाराणसी	75.00
11.	श्री आशीष कुमार सिंह	तदैव	वाराणसी	75.00
12.	श्री नरेश चन्द्र उत्तम	तदैव	फतेहपुर	75.00
13.	श्री भीमराव अम्बेडकर	तदैव	इटावा	75.00
योग-				**975.00**

(कुल रूपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।